

**विज्ञापन**

1. ऑनलाईन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि-17.05.2023
2. आवेदन के Hard Copy अभिलेख सहित प्राप्ति की अंतिम तिथि :-06.06.2023

विज्ञापन संख्या :- 07 / 2023

**निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड नियुक्ति परीक्षा।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के अन्तर्गत निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड (गैर संवर्गीय) के एकल पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या-12/2022 प्रकाशित कर विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों (किसी राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी) से विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप विहित प्रपत्र में पुनः एक बार ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

1. पद का नाम — निदेशक, गव्य विकास
2. पद — स्थायी
3. वेतनमान — PB-IV- 37,400-67,000 (Grade Pay – 8700/-)
4. पदावधि — 05 वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-
  - (क) भारत अथवा विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गव्य विज्ञान (डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी हसबैण्ड्री/डेयरी एनीमल साईंस) में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हो।
  - (ख) पूर्व अनुभव :-  
अभ्यर्थी को किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB-III – 15600-39100 रु० – Grade Pay-7600/- के वेतनमान में कम से कम 3 वर्षों की सेवा का अनुभव अवश्य हो।
  - (ग) प्रशिक्षण और विशेषज्ञता :-  
नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा में अपने अनुभव और विशेषज्ञताओं का ब्योरा देंगे, जिसे नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमानता दी जायेगी।
6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :-01.08.2021  
उम्र सीमा :- न्यूनतम 45 वर्ष एवं अधिकतम 57 वर्ष (सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)।
7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :- चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा के आधार पर अनुशंसित पैनल से की जाएगी। आयोग के Rules of procedure, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं विशेषज्ञता के लिए अधिमानता एवं साक्षात्कार हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् है :-

| शैक्षणिक अर्हता/अनुभव एवं विशेषज्ञता/साक्षात्कार | अंक |
|--------------------------------------------------|-----|
| 10 <sup>th</sup> या मैट्रिकुलेशन                 | 10  |
| 12 <sup>th</sup> या इन्टरमीडियट                  | 10  |
| स्नातक                                           | 20  |
| स्नातकोत्तर                                      | 20  |
| प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता                         | 10  |
| पी0एच0डी0                                        | 10  |
| साक्षात्कार                                      | 20  |
| कुल                                              | 100 |

नोट:- (क) अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इन्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर उपर्युक्त में अंकित अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल पूर्णांक के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर निम्न में अंकित रीति के अनुसार किया जायेगा।

उदाहरण :-

$$\frac{\text{प्राप्तांक (कुल प्राप्त अंक)}}{\text{पूर्णांक (कुल अंक)}} \times \text{संबंधित शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अंक।}$$

8. **परीक्षा शुल्क:-** परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे, संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

- अनारक्षित, (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। इस रियायती (concessionary) दर पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा अद्यतन जाति प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- झारखण्ड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र (उपर्युक्त कंडिका-III में वर्णित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को छोड़) स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

नोट :- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

9. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (d) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (f) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (g) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (h) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (i) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.-+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (j) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :- 1. +919431301636 2. +919431301419
- (k) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।

- (l) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय प्रस्तुत करेंगे।
- (m) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (n) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (o) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (p) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (q) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका-9(r) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति (पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए) आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक-II, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-07/2023 तथा पद का नाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (r) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता गव्य विज्ञान (डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी हसबैण्ड्री/डेयरी एनीमल साईंस) में स्नातकोत्तर संबंधी प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - पी0एच0डी0 प्रमाण पत्र।
  - राज्य सरकार या भारत सरकार या इनके सार्वजनिक उपक्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB - III 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-7600/- के वेतनमान में कम से कम तीन वर्षों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये) की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
  - विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
- (s) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-9(r) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. (क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. अंतिम तिथि:-

- (a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक-17.04.2023 से दिनांक-17.05.2023 अपराह्न-11:45 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक-17.05.2023 के बाद दिनांक-19.05.2023 अपराह्न-11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (c) आवेदक आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक-06.06.2023 अपराह्न-05:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (d) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।